



डॉक्टर हरीसिंह गौर विश्वविद्यालय, सागर (म.प्र.)

(केन्द्रीय विश्वविद्यालय)

DOCTOR HARISINGH GOUR VISHWAVIDYALAYA, SAGAR (M. P.)

"A Central University"

क्र. आर./स्था./आउटसोर्स/2026/ 1293

27/10/2026

परिपत्र

विश्वविद्यालय प्रशासन के संज्ञान में आया है कि वि.वि. में आउटसोर्स माध्यम से कार्यरत कार्मिकों को संबंधित विभागों/नियंत्रण अधिकारियों द्वारा, सीधे अनुभव प्रमाण-पत्र जारी किए जा रहे हैं।

जबकि नियमानुसार, आउटसोर्स माध्यम से कार्यरत कार्मिकों को, अनुभव प्रमाण-पत्र, सेवा प्रमाण-पत्र, वेतन प्रमाण-पत्र आदि जारी करने का दायित्व, संबंधित अनुबंधित आउटसोर्स एजेंसी का होता है।

अतः समस्त विभागाध्यक्षों एवं नियंत्रण अधिकारियों को सूचित किया जाता है कि आउटसोर्स कार्मिकों को किसी प्रकार के प्रमाण-पत्र सीधे जारी ना किए जाएँ। इस संबंध में किसी प्रकार की चूक या विसंगति से भविष्य में किसी भी प्रशासनिक अथवा वैधानिक समस्या की दशा में संबंधित जारीकर्ता स्वयं उत्तरदायी होंगे।

आदेशानुसार,

R. Tiwari
26.10.26
सहायक कुलसचिव (स्था.)

प्रतिलिपि :- सूचनार्थ एवं संज्ञानार्थ।

1. समस्त अधिष्ठाता, विभागाध्यक्ष, नियंत्रण अधिकारी।
2. समस्त प्रतिपालक/प्रतिपालिका(Warden), छात्रावास।
3. प्र. वित्ताधिकारी/सहायक कुलसचिव, वित्त एवं लेखा शाखा।
4. कुलपति जी के सचिव/कुलसचिव के निजी सहायक - सूचनार्थ।
5. संबंधित नस्ती / संरक्षित नस्ती।

U.K. Chaudhary
अनुभाग अधिकारी (स्था.)